कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन नं०-06432 - 232397, मो०-8987790441, ई-मेल : dfo-deoghar@gov.in

पत्रांक 1087 देवघर, दिनांक 21.10.2025

सेवा में,

वरीय प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल, दुमका।

विषय : झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की 132 के॰भी॰ द्विपथ हंसडीहा–जसीडीह संचरण लाईन परियोजना हेतु परिवेश 1.0 पर प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग : परिवेश 1.0 पर प्राप्त प्रस्ताव संख्या–FP/JH/TRANS/151768/2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित परियोजना में परिवेश 1.0 पर प्राप्त आवेदन एवं उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक 581 दिनांक 08.05.2025 द्वारा निर्गत परियोजनान्तर्गत सन्निहित जंगल झाड़ी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के माध्यम् से स्पष्ट है कि परियोजनान्तर्गत सन्निहित जंगल झाड़ी भूमि में परिवर्तन किया गया है, फलस्वरूप विषयगत परियोजना हेतु अपयोजित होनेवाली वनभूमि का कुल क्षेत्रफल 10.7888 हे॰ से बढ़कर 11.1008 हे॰ हो गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

Sr. No.	Circle	Name of Mouza	Thana No.	Plot no	JJ (Ha)	PF (Ha)	Total Area (Ha)
1	Mohanpur	BURHWAKURA	888	64	0.0517	0.0000	0.0517
				345	0.6299	0.0000	0.6299
2		Jamuniya	887	481	0.3016	0.0000	0.3016
				878	0.2937	0.0000	0.2937
				879	0.1855	0.0592	0.2447
				426/1122	0.4839	0.0000	0.4839
3		ROPNI	886	533	1.5800	0.2718	1.8518
				536	0.1538	0.0000	0.1538
4		PHUTABANDH	890	255	1.2700	0.0000	1.2700
				225	0.2944	0.0000	0.2944
				304	0.0000	0.0012	0.0012
				305	0.0000	0.1017	0.1017
				308	0.0000	0.0320	0.0320
				310	0.0000	0.1844	0.1844
5		BALTHAR	891	1138	0.9697	0.0000	0.9697
6		SIKTIYA	878	759	0.0000	0.5612	0.5612
7		DUDHWAJOR	874	249	0.0000	0.9860	0.9860
8		PIRHAMO	869	446	0.6051	0.0000	0.6051
9		BALJORA	507	335	0.2800	0.0000	0.2800
10		GANDHUA	508	80	0.4620	0.3200	0.7820

Sr. No.	Circle	Name of Mouza	Thana No.	Plot no	JJ (Ha)	PF (Ha)	Total Area (Ha)
11	Deoghar	GARIBKHIL	243	21	0.0247	0.0000	0.0247
				22	0.8790	0.0000	0.8790
				147	0.1183	0.0000	0.1183
Total					8.5833	2.5175	11.1008

परिवेश 1.0 पर प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नांकित कमियाँ/त्रुटियाँ पायी गयी है :–

1. फॉर्म–ए॰ के बिन्दू संख्या C II (b) में देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत वनभूमि का केवल एक पैच अंकित किया गया है, जबकि के॰एम॰एल॰ के मानचित्र में एक से अधिक पैच प्रदर्शित है। प्रत्येक पैच की विवरणी अपेक्षित है।
2. फॉर्म–ए॰ के बिन्दू संख्या C IV में अपलोड किया गया Geo-referenced मानचित्र में reference point की संख्या पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक मौजा हेतु Geo-referenced मौजा मानचित्र समेकित (Combined pdf file) अपलोड किया जाए।
3. फॉर्म–ए॰ के बिन्दू संख्या G (i) a में अपलोड किया गया लाभ–व्यय विश्लेषन में वनों का प्रकार Eco-class II दर्शाया गया है, जबकि देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत वन Eco-class III की श्रेणी में आते है। गणना में आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।
4. फॉर्म–ए॰ के बिन्दू संख्या D (i) Justification for locating the project में परियोजना लागत गलत प्रतित होता है। संशोधन अपेक्षित है।
5. प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि कुल 20 ट्रांसमिशन टावर वनभूमि पर अवस्थित है। प्रत्येक टावर का प्रकार तथा रकवा को Purpose wise breakup में सम्मिलित किया जाए।
6. फॉर्म–ए॰ के बिन्दू संख्या D (a) map indicating location of alternative examined में अपलोड किये गये Comparative Statement में वनभूमि का रकवा तथा वृक्षों की संख्या गलत अंकित है, साथ ही वैकल्पिक पथों में सन्निहित वनभूमि तथा वृक्षों की संख्या से संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं है।
7. बिन्दू संख्या E. Employment likely to be generated में Temporary employment की संख्या अत्यंत अल्प है। अपलोड किये गये डाटा का पार–सत्यापन अपेक्षित है।
8. Plan elevation map एवं additional document में अपलोड किए गए कई अभिलेख में हस्ताक्षर एवं स्टाम्प अंकित नहीं है। प्रत्येक अभिलेख सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्टाम्प किया जाना अनिवार्य है।
9. Wildlife Management Plan, Soil and Moisture Conservation Plan के आलोक में वचनबद्धता पत्र अप्राप्त है।
10. गैर–वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों की संयुक्त गणना सूची अपलोड किया जाए।
11. वनभूमि एवं गैर–वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों की सूची की साफ्ट कॉपी उपलब्ध करायी जाए।

स्पष्ट करना है कि उच्च स्तर द्वारा यदि यह निर्णय लिया जाता है कि प्रस्ताव का क्रियान्वयन परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम् से किया जाएगा, वैसी परिस्थिति में तद्नुरूप सभी वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव परिवेश 2.0 पर समर्पित करना प्रयोक्ता संस्थान की बाध्यता होगी।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा प्रस्ताव की 08 (आठ) समुहर हस्ताक्षरित प्रति इस कार्यालय में समर्पित किया जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

21/10/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर